रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30012026-269680
CG-DL-E-30012026-269680

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 73] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 73] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 74(अ).—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम स. 34) की धारा 147 की उप–धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल एतद् द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–

(i) इन नियमों को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2025 कहा जायेगा।

(ii) ये केन्द्रीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 17–ख (पअ) में संशोधनः–दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के सहायक वायरलेस ऑपरेटर /टेली –प्रिंटर ऑपरेटर (हेड कांस्टेबल) के पद से संबंधित विद्यमान नियम 17–ख (पअ) का विलोप किया जाएगा तथा निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–

(2) पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :–पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर ,संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट होंगे।

(3) भर्ती पद्धति, आयु–सीमा तथा अन्य योग्यताएं इत्यादि :– भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले पूर्वोक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

(4) अयोग्यता :–वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की

है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

(5) **शिथिल करने की शक्ति :**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

(6) **बचावः—** इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन या किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के सहायक वायरलेस ऑपरेटर / टेली –प्रिंटर ऑपरेटर (हेड कांस्टेबल)
2.	**पदों की संख्या**	:	1807* (2024) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**पदों का वर्गीकरण**	:	समूह 'ग', (अराजपत्रित) (तकनीकी)
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4 (25,500–81,100/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद अथवा गैर चयन पद है**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18 से 27 वर्षो के बीच भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों /अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**शैक्षिक योग्यताएंः** (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान एवं गणित विषय मे 10,2 (वरिष्ठ माध्यमिक) उत्तीर्ण हो। मैकेनिक–सह–ऑपरेटर इलैक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के ट्रेड मे राष्ट्रीय व्यापार प्रमाणपत्र (एनटीसी) (ख) कंप्यूटर संचालन में दक्षता अर्हक प्रकृति • अंग्रेजी शब्द संसाधन परीक्षण–15 मिनट में 1000 की (key) दबाना • कम्प्यूटर के मूल कार्य का परीक्षण :– कम्प्यूटर को चालू करना/बन्द करना, एमएस ऑफिस का उपयोग करके मुद्रण करना, टाइपिंग सामग्री को सेव करना तथा संशोधन करना, परिच्छेद सेटिंग तथा नंबरिंग इत्यादि (ग) उम्मीदवार का स्वास्थ्य अच्छा तथा किसी भी बीमारी, दोष या विकृति से मुक्त होना चाहिए। (घ) बिना चश्में के अच्छी दृष्टि 6/6। कमजोर दृष्टि (खराब ऑखें) 6/36 चश्मे के साथ सही दृष्टि 6/9 या बिना चश्में 6/12 (दोनों आंखों की)। उम्मीदवार रंग–अंधता से मुक्त होने चाहिए। (ड.) <u>**लम्बाई**</u> :

			पुरूष उम्मीदवार :– 170 सें.मी. । पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी शिथिलनीय है। महिला उम्मीदवारः 157 से.मी. पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी शिथिलनीय है। (च) **छाती** : पुरूष उम्मीदवारः– 81–85 से.मी पहाड़ी क्षेत्रों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों जैसे गोरखा तथा गढ़वालियों के लिए 5 से.मी शिथिलनीय है। महिला उम्मीदवारः– लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**	:	2 वर्ष,
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**	:	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा (i) 90 प्रतिशत रिक्तियों को खुली प्रतियोगिता द्वारा भरा जाएगा, तथा ; (ii) 10 प्रतिशत रिक्तियों को दिल्ली पुलिस के स्थायी सिपाहियों में से उन्हें भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार आयु में छूट देकर भरा जाएगा। **टीप :–** प्रवेश परीक्षा बाहरी उम्मीदवारों तथा विभागीय उम्मीदवारों के लिए एक जैसी रहेगी।
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) में निम्नलिखित सम्मिलित होगेंः– (1) एक उपायुक्त पुलिस –अध्यक्ष (2) दो सहायक आयुक्त पुलिस –सदस्य (संबंधित जिलों/इकाईयों से)
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं

[फा. सं. 14014/23/2025-यूटीपी-I]

शुभंकर घोष, अपर सचिव (गृह–1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

G.S.R. 74(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 147 of the Delhi Police Act, 1978 (Act No. 34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980, namely:

I. Short title and Commencement:

i. This Rule may be called the Delhi Police (Appointment & Recruitment) (Amendment), Rules, 2025.

ii. They shall come into force with effect from the date of their publication in the Central Gazette.

Amendment of Rule-17-B(iv):- In the Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 the existing Rule 17-B(iv), relating to the post of **Assistant Wireless Operator/ Tele-Printer Operator (Head Constable)** of Communication Unit in Delhi Police, shall be deleted and substituted by the following:-

2) **Number of posts, classification and Level in the Pay Matrix-** The number of posts, their classification and level in the Pay Matrix attached thereto shall be specified in columns (2) to (4) of the Schedule of the annexed to these rules.

3) **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.** -The method of recruitment of the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

(4) **Disqualification-** No person;-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(5) **Power to relax-** Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

(6) **Saving-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen, person with disability or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of posts**	**Classification of post**	**Level in the pay Matrix**
1	**2**	**3**	**4**
Assistant Wireless Operator/ Tele-Printer Operator (Head Constable) of Communication Unit in Delhi Police.	**1807* (2024)** *Subject to variation dependent on work load	Group-C, (Non-Gazetted), (Technical)	'Level-4' (25,500-81,100) in the Pay Matrix

Whether Selection or Non-Selection post	**Age limit for direct recruits**
5	**6**
Not applicable	Between 18 to 27 years. (Relaxation as per orders/instructions issued by Government of India from time to time) .

Educational and other qualifications required for the direct recruits
7
Educational qualification: (a) Passed 10+2 (Senior Secondary) from a recognized Board with Science & Mathematics as subjects. OR National Trade Certificate (NTC) in the trade of Mechanic-cum-operator Electronic Communication System. (b) Proficiency in Computer Operation Qualifying in Nature. • Test English word processing speed-1000 key depressions in 15 minutes. • Test basic computer functions:- Opening/Closing of PC, Printing MS office usage, saving & modification in typed text, paragraph setting & numbering etc. (c) The candidate should be of sound health, free from diseases, defect or deformity. (d) Better eye 6/6 without glasses. Worse eye 6/36 corrected with glasses to 6/9 or 6/12 without glasses (both eyes). The candidate should be free from colour blindness. (e) Height: Male candidates: 170 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies. Female candidates:- 157 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies. (f) Chest: Male candidates: 81-85 Cms. Relaxable by 5 Cms. for candidates belonging to Hill areas i.e. Gorkha and Garhwalies. Female candidates:- Not applicable.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
8	**9**
Not applicable	2 years

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
10
100% by direct recruitment: (i) 90% vacancies shall be filled from the open competition and; (ii) 10% vacancies shall be filled from the Delhi Police confirmed Constables by giving them age relaxation as per GOIs instructions. **Note:-** Entrance test for outside candidates and departmental candidates shall be same.

In case of recruitment by promotion /deputation /absorption grades from which promotion /deputation/absorption to be made
11
Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.
12
(**Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** 1. One DCP (Chairman). 2. Two ACsP (Members). (from the Districts/Units concerned)

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
13
Not Applicable

[F. No. 14014/23/2025-UTP-I]

SHUBHANKAR GHOSH, Addl. Secy. (Home-1)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.30 22:19:57 +05'30'